(मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण, प्राधिकार से प्रकाशित, क्रमांक 67,
भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2007—फाल्गुन 7, शक 1928)

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. 6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. 6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2007

No.-C-6-1-2007-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for first proviso to sub-rule (1) of Rule 9, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after senction of procecution by the Government against him."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AKHILESH ARGAL, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.